न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 159/2025

जगदीश पुत्र लादू जाति भांभी उम्र बालिग निवासी ग्राम बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान। प्रार्थी

बनाम

भू–धारी जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान। –अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 22.7.25

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री जितेन्द्र शर्मा
वकील अप्रार्थी श्री पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्र शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित हैं जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 653/156 रकबा 0.9647 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजी में प्रार्थी / खातेदारान के आने–जाने के लिये एवं कृषि यंत्र, अपने मवेशियों, अपनी फसल को निराई–गुडाई करने हेतु गजदूर एवं स्वयं के आने–जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक (Alternative way) मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 653/156 में आने–जाने के लिये कोई भी सस्ता, लघुतम, सरल, सनिकट, अन्य कोई रास्ता नहीं हैं केवल मात्र खसरा नम्बर 692/152 रकबा 2.6020 हैक्टेयर राजकीय भूमि है अप्रार्थी संख्या 1 भू–धारी होने से एवं राज्य सरकार के स्वामित्व होने से राजकीय भूमि के लिये सार्वजनिक रास्ता घोषित अथवा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी की आराजी के समीप ही राजकीय भूमि खसरा नम्बर 692/152 अवस्थित है राजकीय भूमि के आगे सरकारी रास्ता/रोड खसरा नम्बर 691/152 है। प्रार्थी अपने पूर्वाधिकारीयों के समय से ही कदमी रूप से राजकीय भूमि खसरा नम्बर 692/152 की भूमि से संलग्न नजरी नक्शे अनुसार लाल रंग से दर्शित किया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावें। प्रार्थी सद्भाविक कृषक है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 5 (24) के तहत कृषक की श्रेणी में है। जो कृषक अपनी जोत तक पहुँचने के लिये राज्य सरकार द्वारा संशोधन करके एक कृषक को अपनी जोत तक पहुँचने के लिये 30 फीट के रास्ता का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.06.2013 को क्रमांक प. 3 (52) राज–6/12/4 को जारी किया गया है जिसमें निर्धारित किया गया है कि राजकीय भूमि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया गया है कि "यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुँचने के लिये कोई रास्ता नहीं है तो खातेदार राजकीय भूमि से होकर अपनी जोत तक पहुँच सकता है खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आने–जाने के लिये रास्ता चाह जा रहा है। उक्त समस्या के समाधान के लिये यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुँचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिये आवेदन करने पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुँचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव है उक्त स्थिती में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी कृषि भूमि दरो का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रद्वत्त किया जावें। यह नियम मार्ग लघुतम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फिट से अधिक चौडा नहीं होगा रास्ते के प्रद्वत्त कि गयी भूमि राजस्व अभिलेखो में रास्ते के रूप में अभिलिखित कि जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा। इस प्रकार प्रार्थी के पास में अन्य कोई सरलतम, निकटतम, लघुतम रास्ता नहीं है केवल मात्र खसरा नम्बर 692/152 राजकीय भूमि है जिससे प्रार्थी कदमी रूप से आते–जाते रहे हैं अन्य कोई सुलभ रास्ता नहीं है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र राजकीय भूमि से प्राप्त रास्ता करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अन्य खातेदारान को पक्षकार संयोजित करने का विधिक प्रावधान नहीं है एवं न ही चतुर्थ सीमा अंकित किया जाना आवश्यक नहीं है चूंकि राजस्व नक्शे से स्पष्ट स्थिती अवगत होती है एवं माननीय न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक रिपोर्ट भी तलब करवायी जाती है जिससे सुस्पष्ट स्थिती अवगत हो जाती है एवं किसी भी अन्य पडौसी खातेदारान से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा रहा है। भू–धारी होने से अप्रार्थी राजकीय भूमि का स्वत्व प्राप्त है इस कारण अप्रार्थी को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रत्येक काश्तकार को अपनी भूमि पर पहुंच के लिये रास्ता होना विधि अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधित प्रावधान धारा 251–ए के तहत पेश किया जा रहा है जिसमें प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में रास्ता हेतु आदेश होने पर वर्तमान डी.एल.सी. रेट के अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है प्रार्थी द्वारा सद्भाविक रूप से निर्धारित मूल्य को राजकीय कोष में जमा कराने के लिए तत्पर व तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण दिनांक 01.07.2025 को जब उत्पन्न हुआ कि प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 653/156 में फसल बिजाई हेतु कदमी रास्ते सरकारी भूमि खसरा नम्बर 692/152 में से होते हुये अपने खेत मे ट्रेक्टर लेकर जा रहे है तब अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारीयो द्वारा उक्त सरकारी भूमि में अतिक्रमण करने बाबत् नोटिस देने हेतु धमकी दी एवं रास्ते का उपयोग नहीं करने बाबत् हिदायत दी तब प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया की फिर हम प्रार्थी अपनी जोत तक कैसे जाऊ तव अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारीयों द्वारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अनुतोष प्राप्त करने की हिदायत दी तब तब प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क कर सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया एवं अपने अधिवक्ता से सम्पर्क

उपखण्ड अधिकारी

विधिक प्रावधानो के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। प्रार्थी के कब्जे काश्त व सहखातेदारी की कृषि आराजी ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित हैं जिसके वर्तमान खसरा नम्बर रकबा 0.9647 हैक्टेयर भूमि में में आने जाने एवं मवेशी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यंत्र लाने, ले जाने हेतु खसरा नम्बर 692/152 राजकीय भूमि मे से संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करावे एवं प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में डी.एल.सी. रेट के अनुसार निर्धारित मूल्य अप्रार्थी को अर्थात राजकिय कोष में जमा/अदा कराने हेतु तत्पर एवं तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2025 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन करवाई गई। दिनांक 21.07.2025 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु मोका रिपोर्ट पेश की जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम बडगांव स्थित खसरा संख्या 653/156 रकबा 0.9647 हैक्टेयर में आवागंमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिये एकमात्र रास्ता खसरा संख्या 692/152 रकबा 2.6020 हैक्टेयर से दिया जा सकता है, जिसमें से 30 फीट चौडाई का रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.0520 हैक्टेयर अधिग्रहित की जायेगी, जिसकी निर्वापित राशि वर्तमान डी.एल.सी. दर 16,85,700/– के अनुसार 1,75,313 अक्षरे एक लाख पचहत्तर हजार तीन सौ तेरह रूपये होगी।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट मय जवाब के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 653/156 में वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी खसरा संख्या 692/152 से से आवागमन करता है। खसरा संख्या 692/152 में से रकबा 0.0520 हैक्टेयर (30 फीट चौडाई) स्वीकृत किये जाने की स्थिती में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 653/156 में आवागमन हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध हो जायेगा जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थी का विधिक अधिकार है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 692/152 में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0520 हैक्टेयर (30 फीट चौडाई) भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी.एल.सी. दर के अनुसार ख0नं0 692/152 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0520 हैक्टेयर भूमि की निर्वापित राशि 1,75,313/– अक्षरे एक लाख पचहत्तर हजार तीन सौ तेरह रूपये मात्र होती है, जो प्रार्थी द्वारा राजकीय कोष,

राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जाये। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0520 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 1,75,313/– रूपये एक लाख पचहत्तर हजार तीन सौ तेरह तहसीलदार किशनगढ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा एवं नक्शा के अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0520 हैक्टैयर (30 फीट चौडाई) भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22/07/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ